न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ख्या : 17/237

बुद्धिप्रकाश आत्मज श्री बजरंग लाल दत्तक पुत्र माधोलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गोदल्याहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. कन्हैया लाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति धाकड निवासी ग्राम गोदल्याहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. जितेन्द्र पुत्र श्री त्रिलोकचन्द ।
3. हेमेन्द्र पुत्र श्री त्रिलोकचन्द ।
4. रोहिताश पुत्र श्री त्रिलोक चन्द ।
5. भूली बाई पतनी श्री त्रिलोकचन्द जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम गोदल्याहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामदयाल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 04.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गोदल्याहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 16 की 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 20 की 1.48, खसरा नम्बर 48 की 0.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 130 की 1.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 134 की 0.14 हैक्टर,. खसरा नम्बर 142 की 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 512 की 0.91 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 539 की 1.92 हैक्टर कुल 08 किता की 7.67 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि के पूर्व में रिकॉर्डेड खातेदार प्रतिवादी कम 1 एवं स्व0 माधो जी थे जो आपस में सगे भाई थे । स्व0 श्री माधो जी के कोई सुलभी संतान नहीं थी इस कारण से उन्होंने जाति की रस्म रिवाजों के अनुसार वादी की नाबालिग अवस्था में वादी को गोद ले लिया तथा वादी को पाला, पोसा शिक्षा दीक्षा करवाई तथा माधोलाल का स्वर्गवास होने पर वादी को ही जाति समाज एवं प्रतिवादी कम 1

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
न्याया. राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

का वैध वारिस होने पर वादी को पगडी बांधी । इस प्रकार मृतक माधो के अलावा कोई वैध वारिस नहीं है । प्रतिवादी कम 1 व स्व0 माधोजी द्वारा दिनांक 29.01.1987 को एक वसीयतनामा निष्पादित कर उसको नोटेरी से प्रमाणित इस वसीयत के अनुसार प्रतिवादी कम 1 स्वर्गीय माधोलाल जी की मृत्युउपरान्त स्त चल व अचल सम्पतित का एक मात्र मालिक वादी है । यह वसीयत माधोलाल जी न वसोयत है । माधोलाल जी की मृत्यु के पश्चात् इंतकाल नम्बर 142 से खातेदार लाल का उनके फौत हो जाने से उसके स्थान पर वादी बुद्धिप्रकाश आत्मज बजरंग का नाम यत के आधार प रनाम दर्ज करने का आदेश हुआ । प्रतिवादी कम 1 के मन में बदनियति आ जाने से वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है जिसमें वादी ने अपने हिस्से 1/2 भूमि से बेदखल नही करने का अनुतोष चाहा है । प्रतिवादीगण ने जबरन दिनांक 01.12.99 को दौराने वाद कब्जा कर लिया है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है और प्रतिवादीगण की हैसियत एक अतिक्रमी की है जिससे वह बेदखली का अधिकारी हैं !

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम 1/2 हिस्से में सहखातेदार के रूप में दर्ज किया जावे और उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को वादी की सहमति के बिना किसी अन्य प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करे और न ही कोई बेचान आदि करे । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि आदि से करावे ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.05.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदारान माधोलाल व मांग्या ने वादी अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी । उक्त वसीयत दोनों भाईयों ने संयुक्त रूप से अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित की थी । ऐसी स्थिति में मृतक माधोलाल की भूमि अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज की जानी चाहिए थी । उक्त वसीयत सादा कागज पर लिखित थी जो जिसका कानूनन रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है क्योंकि वसीयत सादा कागज पर लिखित भी मान्य है । इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में दिनांक 24.08.1993 जो पत्रावली में दस्तावेज प्रदर्श-- डी--1 है के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 29.01.1987 को निष्प्रभावी माना है । कानूनन दस्तावज का आशय जानने के लिऐ व्याप्त रही परिस्थितियॉ

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

न्याया राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

...दस्तावेज की भाषा को दृष्टिगत रखते हुए निष्कर्ष करना होता है । उक्त ...डी–1 के प्रथमदृष्टया अवलोकन से साबित है कि व्याप्त रही परिस्थितियाँ ...षा से उक्त दस्तावेज एक इकरारनामा मात्र है तथा इकरारनामे से कानूनन किस ...चोलाल की सम्पत्ति मांग्या के खाते दर्ज नहीं की जा सकती । विधि में कहीं भ ...मा से खातेदार अधिकार अंतरित नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय ए... ने अपीलान्ट के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 29.01.1987 को निष्प्रभावी मानकर विक्र... को वैध मानने में त्रुटि की है । प्रस्तुत प्रकरण मांग्या द्वारा विवादित भूमि का बेचान दिनांक 23.07.1997, 09.02.1999 एवं 07.02.1998 को किया गया था अर्थात् प्रथम बेचान दिनांक 23.07.1997 से अंतिम बेचान तक अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वाद जैरकार था तथा स्थगन आदेश भी प्रभावी था । सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के अनुसार उक्त बेचान हिट हो रहा था तथा मांग्या को यह तथ्य भलीभांति ज्ञान में था उसके खिलाफ वाद जैरकार है और उसमें स्थगन हो रहा है फिर भी उसके द्वारा वादी के वाद को विफल करने हेतु दौराने स्थगन वादग्रस्त आराजी का बेचान किया गया है । तथाकथित विक्रय स्थगन आदा के प्रभावी होने पर किया गया था जो प्रारम्भ से ही व्यर्थ था । सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 के अनुसार तथाकथित विक्रय हिट हो रहा था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री में त्रुटिपूर्ण विवेचना करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं गवाहान को नही माना जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 एवं 71 के प्रावधानों के अनुसार अपीलान्ट द्वारा उसके पक्ष में की गई वसीयत को पूर्ण रूप से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बखूबी साबित कर दिया था इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.05.2017 निरस्त फरमाया जावे और वादी अपीलान्ट का वाद डिक्री किया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में सीसीसी 1994 (1) पेज 214, सीसीसी 1994 (2) पेज 400, आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 1033, आर.एल.डब्ल्यू. 2012 (4) पेज 3040, आर.एल.डब्ल्यू. 2007 (1) पेज 348, ए.आई.आर. 1984 पेज 206, ए.आई.आर. 1999 पेज 2607, आर.आर.टी. 2016 (1) पेज 01 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट ने वसीयत के आधार पर अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था जिसमें दौराने वाद मांग्या की मृत्यु दिनांक 05.06.1998 को हो गई थी । वादी अपीलान्ट ने मृतक मांग्या के स्थान पर कायममुकामान बनाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया कि वसीयत के आधार पर वारिसों का निर्धारण करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है । इस प्रकार वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 दिनांक 29.06.1998 को खारिज कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जिन कथनों पर वाद प्रस्तुत किया है वह स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 06 एवं 11 एवं गोद अधिनियम के विपरीत है । अपीलान्ट वादी का यह कथन केवल मात्र मौखिक एवं मनगढंत कहानी पर आधारित गोद पुत्र बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं की है । अपीलान्ट वादी को सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट से गोद पुत्र घोषित करवाना ही मुख्य सहायता है । अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई सहायता सिविल न्यायालय से प्राप्त नहीं की है इसलिए अपीलान्ट वादी को गोदपुत्र नहीं माना जा सकता है क्योंकि हिन्दू भरण पोषण एवं गोद अधिनियम की धारा 6 व 11 किसी कुटुम्ब के पुरूष व्यक्ति के सर पर पगडी बंधवाने से उसे न तो गोद लेना कहा जा सकता है न सम्पत्ति हस्तान्तरण के अधिकार प्राप्त होते हैं । हिन्दू

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

न्याया. राजस्व अपील अधिकारी
कोटा

रिवाज कि किसी पुरूष व्यक्ति की मृत्यु पर उसके लडके या कुटुम्ब के किसी पुरूष पगडी बधाई जाती है इसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है यह समाज की औपचारिकता गोद पुत्र के सम्बन्ध में घोषणा का अधिकार केवल मात्र दीवानी न्यायालय को ही है न्यायालय को नहीं जो 1992 आर.आर.डी. पे 648 सी के न्यायिक दृष्टांत से साबित है । वादग्रस्त आराजी पर वादी अपीलान्ट का कोई वैध अधिकार नहीं बनता है । वादग्रस्त आराजी पर मांग्या पुत्र ग्यारसीलाल ही वैध वारिस है जिसको राजस्थान सरकार तहसीलदार लाडपुरा ने सही माना है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं0 1 वादी के विरूद्ध निर्णित करने में कोई त्रुटि नहीं की है क्योंकि प्रदर्श– पी– 1 वसीयत पूर्ण रूप से कूट रचित दस्तावेज है जिसका लेखनकर्ता रामस्वरूप शर्मा पुत्र केसरीलाल शर्मा अधिवक्ता पी.डब्ल्यू. 5 द्वारा दिनांक 29.01.1997 को लेखन करना बताया । पी.डब्ल्यू. 5 जीवित है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बार–बार तलब किये जाने के उपरान्त भी वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है । इस प्रकार वादी अपीलान्ट ने तनकी नं0 01 को साबित नहीं किया है । इस प्रकार उक्त वसीयत पूर्ण रूपेण कूटरचित दस्तावेज है जो साक्ष्य द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सिद्ध नहीं किया है । इस प्रकार प्रदर्श– पी– 1 वसीयत एविडेन्स एक्ट 1872 सेक्सन 62 के मुताबिक सिद्ध नहीं है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। वादी अपीलान्ट वसीयत के आधार पर अपने अधिकार तय करना चाहता है तो नियमित वाद के द्वारा सक्षम न्यायालय से अपने अधिकार तय करा सकता है । मृतक माधोलाल ने अपने जीवनकाल में अपने सगे भाई मांगीलाल को अपनी सम्पत्ति के समस्त अधिकार दे दिये थे इस आशय की एक लिखावट दिनांक 24.08.1993 को ग्राम पंचायत गोदल्याहेडी के समक्ष लिखावट कर तस्दीक कर दी थी । मांगीलाल समस्त भूमि का वारिस हो गया था इस कारण माधोलाल के वर्ष 1994 में मरने के बाद मांगीलाल ही सकी आराजी का एकमात्र मालिक हो गया जिसको गवाह डी.डब्ल्यू. –4 भंवरलाल ने सही होना सिद्ध किया है जिससे साबित है कि माधोलाल ने वादी अपीलान्ट के पक्ष में कोई वसीयत वर्ष 1987 व 1997 में निष्पादित नहीं की और दोनों वसीयतें शून्य व प्रभावहीन है । इंतकाल संख्या 142 से मांग्या आत्मज ग्यारसीलाल खातेदार दर्ज है जो विधि अनुकूल है । वादी अपीलान्ट ने उक्त इंतकाल को निरस्त कराने हेतु आज तक कोई चुनौती नहीं दी है । विधि अनुसार वादी अपीलान्ट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इंतकाल संख्या 142 को निरस्त कराने बाबत् सक्षम न्यायालय में अपील पेश करना चाहिए था जो वादी अपीलान्ट ने आज दिनांक तक नहीं की है । मांग्या ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की है । मांग्या द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट कम 1 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 23.07.1997 को बेचान कर कब्जा केता को संभला दिया जिसका इंतकाल नं0 219 से खातेदार काबित काश्त है । इसी प्रकार मांग्या द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 2 व 3 एवं 4 को जरिये विकय पत्र दिनांक 07.02.1998 को 5.12 हैक्टर भूमि का बेचान कर कब्जा संभला दिया जिसका राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल नं0 217 से नाम खातेदारी में दर्ज हो गया। इसी प्रकार प्रतिवादी कम 5 रेस्पोडेन्ट को भी भूमि का बेचान किया गया है और उक्त भूमि केतागण के नाम खातेदारी में दर्ज हो चुकी है । इस प्रकार मांग्या द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत करने का प्रश्न ही नहीं होता है । कानूनन जब तक रजिस्टर्ड विकय पत्र निरस्त नहीं हो जाते तब तक वादी अपीलान्ट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.05.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आर.आर.डी. 1992 पेज 648, 649, आर.बी.जे. 2004 पेज 515, आर.आर.टी. 2011 पेज 779, आर.आर.डी. 1998 पेज 587–88, आर.आर.डी. 1992 पेज 415, आर.आर.डी. 1992 पेज 114, आर.आर.डी. 1988 पेज 703, आर.आर.

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
न्याया. राजस्व अपील अधिकारी
कोटा

...70, आर.आर.डी. 1984 पेज 391 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील ...ज करने का निवेदन किया ।

...ावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस ...न किया एंव पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण ...त्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर साबित ...है कि वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदारान माधोलाल व मांग्या ने वादी अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत निष्पांदित की थी । उक्त वसीयत दोनों भाईयों ने संयुक्त रूप से अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित की थी । ऐसी स्थिति में मृतक माधोलाल की भूमि अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज की जानी चाहिए थी । उक्त वसीयत सादा कागज पर लिखित थी जो जिसका कानूनन रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है क्योंकि वसीयत सादा कागज पर लिखित भी मान्य है ।

11. इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में दिनांक 24.08.1993 जो पत्रावली में दस्तावेज सादा कागज पर लिखित इकरारनामा जो प्रदर्श– डी–1 है के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 29.01.1987 को निष्प्रभावी माना है । कानूनन दस्तावज का आशय जानने के लिऐ व्याप्त रही परिस्थितियाँ पक्षकारों के आशय व दस्तावेज की भाषा को दृष्टिगत रखते हुए निष्कर्ष करना होता है । उक्त दस्तावेज प्रदर्श– डी–1 के प्रथमदृष्टया अवलोकन से साबित है कि व्याप्त रही परिस्थितियों व दस्तावेज की भाषा से उक्त दस्तावेज एक इकरारनामा मात्र है तथा इकरारनामे से कानूनन किसी भी रूप में माधोलाल की सम्पत्ति मांग्या के खाते दर्ज नहीं की जा सकती । विधि में कहीं भी इकरारनामा से खातेदार अधिकार अंतरित नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिकी में अपीलान्ट के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 29.01.1987 को निष्प्रभावी मानकर विक्रय पत्र को वैध मानने में त्रुटि की है । प्रस्तुत प्रकरण मांग्या द्वारा विवादित भूमि का बेचान दिनांक 23.07.1997, 09.02.1999 एवं 07.02.1998 को किया गया था अर्थात् प्रथम बेचान दिनांक 23.07.1997 से अंतिम बेचान तक अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वाद जैरकार था तथा स्थगन आदेश भी प्रभावी था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिकी पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के अनुसार उक्त बेचान हिट हो रहा था तथा मांग्या को यह तथ्य भलीभांति ज्ञान में था उसके खिलाफ वाद जैरकार है और उसमें स्थगन हो रहा है फिर भी उसके द्वारा वादी के वाद को विफल करने हेतु दौराने स्थगन वादग्रस्त आराजी का बेचान किया गया है । तथाकथित विक्रय स्थगन आदेा के प्रभावी होने पर किया गया था जो प्रारम्भ से ही व्यर्थ था । सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 के अनुसार तथाकथित विक्रय हिट हो रहा था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिकी में त्रुटिपूर्ण विवेचना करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं गवाहान को नही माना जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 एवं 71 के प्रावधानों के अनुसार अपीलान्ट द्वारा उसके पक्ष में की गई वसीयत को पूर्ण रूप से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बखूबी साबित कर दिया था इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिकी पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अपीलान्ट ने अपनी अपील मीमो में कहे गये कथनों को साबित करने में सफल रहा है । हम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

न्याया. राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

लान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री 2017 निरस्त किया जाता है । वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाता

आज दिनांक 04.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

अपील में डिकी

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/237

बुद्धिप्रकाश आत्मज श्री बजरंग लाल दत्तक पुत्र माधोलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्रा
गोदल्याहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीला

बनाम

1. कन्हैया लाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति धाकड निवासी ग्राम गोदल्याहेडी तहसील लाडपु
जिला कोटा ।
2. जितेन्द्र पुत्र श्री त्रिलोकचन्द ।
3. हेमेन्द्र पुत्र श्री त्रिलोकचन्द ।
4. रोहिताश पुत्र श्री त्रिलोक चन्द ।
5. भूली बाई पतनी श्री त्रिलोकचन्द जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम गोदल्याहेडी तहसील लाडपु
जिला कोटा ।
6. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---प्रत

बनाराजगी आदेश एवं डिकी दिनांक 12.05.2017 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 198/दावा/2014

बुद्धिप्रकाश आत्मज श्री बजरंग लाल दत्तक पुत्र माधोलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गोदल्याहेडी
तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---वा

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

न्याया राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

बनाम

...लाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति धाकड निवासी ग्राम गोदल्याहेडी तहसील लाडपुरा जिला ...

...न्द्र पुत्र श्री त्रिलोकचन्द ।
...हेमेन्द्र पुत्र श्री त्रिलोकचन्द ।
4. रोहिताश पुत्र श्री त्रिलोक चन्द ।
5. भूली बाई पतनी श्री त्रिलोकचन्द जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम गोदल्याहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी** उपर्युक्त वाद में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा .के निर्णय एवं डिकी दिनांक **12.05.2017** .की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 04.10.2017 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत एवं प्रत्यर्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रामदयाल शर्मा उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी दिनांक 12.05.2017 निरस्त किया जाता है । वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद डिकी किया जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिकी आज तारीख 04.10.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

न्याया. राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

मिलान किया
पढ़ा सुना

हस्ताक्षर 1